

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या

12/150/2016

प्रवेश तिथि

02-11-2016

निर्णय दिनांक

09-05-2018

01- भजनी पुत्र किशनलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम नंगला चिरावंडा तहसील रामगढ जिला अलवर

—: अपीलाण्ट

बनाम

01- नायब तहसीलदार रामगढ, जिला अलवर।

—: रेस्पौडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय नायब तहसीलदार रामगढ
दिनांक 05.09.2016 अन्तर्गत धारा 91 भू
राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 218/2016

उपस्थित:-

01-श्री आशीष खण्डेलवाल

—वकील अपीलाण्ट

—:निर्णय:-

अपीलान्ट ने यह अपील नायब तहसीलदार रामगढ के आदेश दिनांक 05.09.2016 जिसके द्वारा अपीलान्ट को ग्राम नंगला चिरावंडा की सरकारी चारागाह भूमि आराजी खसरा नम्बर 997 रकबा 0.19 है० गै०मु० चारागाह मे से 0.19 है० पर अवैध कब्जा करने पर की गई सजा व पैनल्टी से व्यथित होकर की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ० को जर्जे सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम नंगला चिरावंडा की सरकारी चारागाह भूमि आराजी खसरा नम्बर 997 रकबा 0.19 है० गै०मु० चारागाह मे से 0.19 है० पर अवैध कब्जा करने की रिपोर्ट दिनांक 08.08.2016 को पटवारी द्वारा करने पर अपीलांट को अतिक्रमी मानकर बिना सुने तीन माह का सिविल कारावास व लगान से दण्डित किया। अपीलांट को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी माना है जबकि पूर्व में अपीलांट को कभी बेदखल नहीं किया गया ना किसी प्रकार की पैनल्टी से आरोपित किया गया। अतः अपीलार्थी को सिविल कारावास व पैनल्टी से मुक्त किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद पर विचार किया गया अपीलान्ट ने आदेश दिनांक 05.09.2016 के विरुद्ध दिनांक 02.11.2016 को पेश किया। प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड एवं पटवारी हल्का रिपोर्ट से अपीलार्थी का पश्चात्वर्ती अतिक्रमण साबित होता है। अपीलार्थी द्वारा शपथ पत्र दिनांक 27.10.2016 में कब्जा छोडना बताया गया है, जबकि नायब तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 10.10.2017 में अपीलांट द्वारा कपास की फसल कर अतिक्रमण किया हुआ है तथा कब्जा नहीं छोडा है। अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 05.09.2016 यथावत रखा जाता है।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ भिजवाई जावें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 09-05-2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)

अलवर (राजस्थान)

